दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

□ *वर्ष 63* □ *अंक–22* □ *दिल्ली* □ *अगस्त (द्वितीय)* □ *मूल्य : 2 रु.*

41वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन 12–13 दिसम्बर, 2025 को

दलित साहित्यकार, कलाकार और समाजसेवी सम्मानित होंगे

भारतीय दलित साहित्य अकादमी का 41वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन पंचशील आश्रम, झडौदा गांव (बुराड़ी बाई–पास) निरंकारी समागम ग्राउंड के सामने, आऊटर रिंग रोड, दिल्ली में 12–13 दिसम्बर, 2025 को आयोजित किया जा रहा है। इस द्विदिवसीय सम्मेलन में देश–विदेश के सभी भाषाओं के दलितोत्थान में जुटे दलित साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, सम्पादक आदि भाग लेंगे और दलितोत्थान सम्बन्धी विषयों पर विचार–विमर्श करेंगे।

सम्मेलन के पहले दिवस के कार्यक्रम को **'सम्मान दिवस'** का नाम दिया गया है। इस दिन के कार्यक्रम में दलितोत्यान के क्षेत्र में विशिष्ठ कार्यों के लिए साहित्यकारों, कलाकारों और समाज सेवियों को बाबा साहब डा. अम्बेडकर, महात्मा जोतिबा फुले, वीरांगना सावित्री बाई फुले, भगवान बुद्ध के नाम पर स्थापित राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा। इसके साथ ही सामाजिक समता के विशेष कार्यों के लिए महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, सद्गुरु कबीरदास, गुरु घासीदास, गुरु तिरूवल्लवर, ई.वी रामास्वामी पेरियार, सन्त नामदेव आदि के नामों पर स्थापित राष्ट्रीय अवार्डो से सम्मानित किया जायेगा।

दलित साहित्य के माध्यम से दलितोत्थान कार्यों में संलग्न महानुभानों को डा. अम्बेडकर फेलेशिप सम्मान, मा. जोतिबा फुले फेलोशिप सम्मान, वीरांगना सावित्रीबाई फुले सम्मान व भगवान बुद्ध सम्मान से अलंकृत किया जायेगा।

सम्मेलन के अगले दिन 13 दिसम्बर, 2025 के दिन के कार्यक्रम को **'अधिकार दिवस'** का नाम दिया गया है। इस दिन दलितों की समस्याओं–भेदभाव, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, अपमान, असमानता आदि पर खुलकर विचार–विमर्श किया जायेगा। इसके अलावा दलितों के संवैधानिक मौलिक अधिकार, शासन–प्रशासन व सत्ता व सम्पदा में बराबर की हिस्सेदारी प्राप्ति के लिए विचार–विमर्श होगा और इसके लिए विशेष कार्यक्रम बनाया जायेगा। इस दिन दलित धर्म संसद, दलित इतिहास सम्मेलन, दलित महिला सम्मेलन, दलित पत्रकार सम्मेलन भी आयोजित किये जायेंगे। सम्मेलन के समापन पर पारित प्रस्तावों पर विचार करने के बाद घोषणा की जायेगी।

सम्मेलन में आनेवाले प्रतिनिधियों के आवास व भोजन की व्यवस्था अकादमी की ओर से की जायेगी। अकादमी की सभी प्रदेश शाखायें इस राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने में जुट गई हैं और अपने प्रदेशों से अधिक से अधिक प्रतिनिधि दिल्ली लाने के लिए प्रयासरत हैं। इस दो दिन के सम्मेलन में सभी प्रदेश अपने–अपने राज्यों से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए अपनी सांस्कृतिक मंडली ला रही हैं।

41वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन

स्थान : पंचशील आश्रम, झड़ौदा गांव, (बुराड़ी बाई पास) रिंग रोड, दिल्ली-84

शुक्रवार दिनांक 12 दिसम्बर, 2025

प्रातः 8 बजे : **प्रतिनिधि पंजीकरण**

प्रातः 10 बजे : **प्रतिनिधियों का स्वागत**

दोपहर 12 बजे :
स्वागत भाषण, अतिथियों का स्वागत

दोपहर 1 बजे :
डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण

दोपहर 2 बजे :
मुख्य अतिथि का भाषण

दोपहर 3 बजे : **मध्यान्तर जलपान**

सायं 4 बजे : **डा. अम्बेडकर फैलोशिप वितरण**

सायं 6 बजे : **सांस्कृतिक कार्यक्रम**

शनिवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2025

प्रातः 10 बजे :
प्रतिनिधियों का पारस्परिक परिचय

प्रातः 11 बजे :
उद्घाटन : दलित धर्म संसद सम्मेलन
दलित इतिहास सम्मेलन
दलित पत्रकार सम्मेलन
दलित जन समस्याएं सम्मेलन
दलित महिला सम्मेलन

दोपहर 12 बजे :
सम्मेलन में प्राप्त शोध पत्र/ सुझाव/प्रस्तावों का विश्लेषण व निष्कर्ष

दोपहर 2 बजे : **मध्यान्तर भोजन**

दोपहर 3 बजे : **प्रस्तुत प्रस्तावों पर सम्मेलन की राय**

सायं 6 बजे : **समापन समारोह**

सम्पादकीय

अकादमी के 41वें राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका स्वागत है

• डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के 41वें राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनन्दन है। यह अकादमी के प्रति आपके अटूट प्यार, गहरी निष्ठा और भरपूर विश्वास का परिचायक है जो कि आप पिछले 40 सालों से अकादमी से निरन्तर जुड़कर उसके द्वारा संचालित सामाजिक विषमताओं को मिटाने के अभियान में सदैव जुड़े रहे और जिसके आधार पर आज अकादमी का कारवां यहां तक पहुंचा है।

भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन में भिक्खुओं को सम्बोधित करते हुए कहा था—''चरवैति चरवैति भिक्खुवे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।'' यानी भिक्खुओ! बहुजनों के कल्याण के लिए और बहुजनों की सुख– शान्ति के लिए आप देश भ्रमण के लिए आगे बढ़ो। देश के अछूत, दलित, शोषित, उपेक्षित लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं जो आज भी उनकी अहिंसा की परम्परा को मानते हैं और उनके 'अत्तो दीपो भव'—अपने दीपक आप स्वयं बनो—अपनाने में विश्वास करते हैं।

भगवान बुद्ध के 'बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय' तथा 'अत्तो दीपो भव' के उद्‌बोधन को अपना आदर्श व आप्त वाक्य मानकर भारतीय दलित साहित्य अकादमी 1984 से देश में जन चेतना का कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ रही है।

आप दलितोत्थान एवं सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में एक संकल्पित योद्धा के रूप में पूरी लगन और निष्ठा के साथ दलित साहित्य एवं समाज सेवा के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं, वह प्रशंसनीय हैं और यह आने वाले समय में इतिहास में लिखा जायेगा।

साथियो,
मैं तो निकला था
यूं ही निशाने मंजिल,
साथी जुड़ते गये और
कारवां बनता गया।

आज से 40 वर्ष पूर्व जिस भारतीय दलित साहित्य अकादमी की नींव डाली थी, और इसके माध्यम से ब्राह्मणवाद से अलग अपना साहित्य, अपना इतिहास, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपना समता व करुणा से भरे धर्म की स्थापना का सपना देखा था, वह आज पूरी तरह से साकार हुआ नजर आता है। आज दलित साहित्य लेखन की और अपने को दलित साहित्यकार कहलाने में जो होड़ लगी है, उससे हमारा सीना तो चौड़ा होता ही है, साथ ही खुशी और गर्व से हमारा मस्तक भी ऊंचा हो जाता है। इस गर्व और गौरव के पीछे ब्राह्मणवाद के खिलाफ अदम्य साहस है जो आपने पुरातन, रुढ़िवादी और अन्धविश्वासी परम्पराओं और मान्यताओं को ठुकराकर मानवतावादी—समता, ममता, करुणा, सत्य से पूर्ण मार्ग को अपनाया। हमारे इस विज्ञान व अध्यात्म पर आधारित मानवतावादी मार्ग को अपनाकर देश की दशा और दिशा ही बदल गई है। आज तर्क—वितर्क, ज्ञान—विज्ञान और विवेक की शक्ति आपके पास है जिसका निर्भीकता व साहस के साथ उपयोग के लिए आप अपनी लेखनी व शारीरिक श्रम के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं। इसी से सभी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। यह एक सुखद, स्वर्णिम काल के आने का शुभ संकेत है।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी पिछले 40 सालों में देश

(शेष भाग... पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्‌घोष	डा. सुमनाक्षर	100/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
मेरे साक्षात्कार—मेरा जीवन संघर्ष	डा. सुमनाक्षर	300/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	100/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	100/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	100/–
दलित साहित्य—दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
बौद्ध धर्म—गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	100/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	100/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	200/–
Who's who Dalit Writers in India	Dr. Sumanakshar	500/-
Who's Who–International & National Awardees of B.D.S.A.	Dr. Sumanakshar	500/-

पुस्तक मंगाने के लिए अग्रिम राशि निम्नलिखित अकादमी के खाते में भेजें

Bharatiya Dalit Sahitya Akademi
A/c No. - 2592101012292 (Canara Bank)
IFSC - CNRB0002592
Branch - Model Town, Delhi

और विदेश में दलित साहित्य के माध्यम से भगवान बुद्ध, गुरु रविदास, महात्मा जोतीबा फुले, स्वामी अछूतानन्द 'हरिहर', बाबा साहब डा. अम्बेडकर, बाबू जगजीवन के सामाजिक समता के सन्देश को फैलाने में सफल हुई है और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरन्तर आगे बढ़ रही है।

भगवान बुद्ध ने **'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'** एवं **'अत्तो दीपो भव'** का सन्देश दिया था। वहीं संतशिरोमणि गुरु रविदास जी ने समता का सन्देश देते हुए कहा था—**''ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न। छोटे बड़े सब सम बसैं रविदास रहे प्रसन्न।''** महात्मा जोतिबा फुले ने सामाजिक विषमता, का मुख्य कारण अविद्या को बताते हुए कहा—**'विद्या बिना गति गई। गति बिना नीति गई। नीति बिन मति गई, बिना मति के वित्त गया। बिन विद्या के सर्वनाश हुआ। हम दूसरों के गुलाम बने।'**

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने सामाजिक विषमता और वर्ण व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए दलितों का आह्वान किया था—**''शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो।''** उन्होंने दलितों को उनके समता के अधिकारों से अवगत कराते हुए उन अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया था। बाबू जगजीवन राम जी ने भी अपने राजनीतिक व

सम्पादकीय का शेष....अकादमी के 41वें राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका स्वागत है

सामाजिक जीवन में समता का सन्देश देते हुए आजीवन इसके लिए कार्य किया।

भगवान बुद्ध के 'बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय' तथा 'अत्तो दीपो भव' के उद्बोधन को अपना आदर्श व आप्त वाक्य मानकर भारतीय दलित साहित्य अकादमी 1984 से देश में जन चेतना का कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ रही है। गत 40 वर्षों में अकादमी का 'नेटवर्क' भारत के सभी राज्यों की सीमा लांघकर विदेशों तक फैल चुका है।

दक्षिण भारत के 7 राज्यों और पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में अकादमी की शाखाओं ने दलितों को एकजुट करके एक सशक्त कड़ी बनाई है जिससे दलित अपने अधिकारों के प्रति सजग तो हुए ही हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी संघर्षरत हैं।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने गत 40 वर्षों में दलित साहित्य के माध्यम से देश में एक नई वैचारिक क्रान्ति पैदा की है। दलित एक दूसरे को जानने लगे हैं और अकादमी के मंच पर आकर एक—दूसरे की समस्या को पहचानने भी लगे हैं और उन समस्याओं के निवारण के लिए विचार—विमर्श करके उनका हल ढूंढ़ने लगे हैं। अकादमी ने 'दलित साहित्य' को जन्म दिया, कॉलेज—विश्वविद्यालयों में स्थापित किया, दलित लेखकों को प्रोत्साहित किया और दलित साहित्यकार के रूप में उन्हें सम्मानित करके समाज में यथोचित सम्मान देकर मार्गदर्शन किया।

आज विश्वविद्यालय व कॉलेज के पुस्तकालय दलित साहित्य से भरे पड़े हैं। दलित साहित्य पाठ्यक्रम शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाया जा रहा है। उस पर शोध करवाकर पीएच. डी., डी.लिट्, एम.फिल की उपाधियों से शोधार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। प्रकाशक दलित साहित्य प्रकाशन के लिए दलित लेखक व साहित्यकारों को यथोचित मानदेय देकर दलित साहित्य लिखवा रहे हैं। देश में आज दलित साहित्य की तीव्र मांग है। यह सब भारतीय दलित साहित्य अकादमी के गत 40 सालों का प्रयास का फल है।

आज दलित साहित्य बुद्ध के सामने मनु को नकार दिया गया है। संत गुरु रविदास व सद्गुरु कबीर के सामने ब्राह्मणवाद नतमस्तक है। महात्मा जोतिबा फुले, स्वामी अछूतानन्द 'हरिहर' के सामने मनुस्मृति की विषमता भरी वर्ण व्यवस्था चूर—चूर हुई नजर आ रही है। भारतरत्न बाबा साहब डा. अम्बेडकर तथा बाबू जगजीवन राम के समता का सन्देश ने सदियों से सोये हुए दलितों को झकझोर कर जगाकर खड़ा कर दिया है। वीरांगना झलकारीबाई और वीरांगना सावित्रीबाई फुले के पराक्रम, साहस व वीरता के सामने उच्च वर्णीय गोरी महिलायें पानी भरती नजर आती हैं। यह सब अकादमी की खोज का परिणाम है। इसके पीछे भारतीय दलित साहित्य अकादमी का गत 40 सालों का परिश्रम, लगन, निष्ठा है जो अकादमी ने सदियों से मूक, अछूत, दलित, शोषित लोगों को मंच दिया, जुबान दी, विचार दिए, दिशा दी, कलम दी, लेखन के लिए प्रेरित किया, मान—सम्मान दिया और देश—विदेश में प्रख्यात किया। यह अकादमी का साकार परिणाम है।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने ही 5 हजार साल पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कर वहां स्थित भव्य, आलीशान सर्वोत्तम भवन कला के नमूने ने मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलवीरा, पीली बंगा, काली बंगा शहरों की संस्कृति को उजागर किया। दलित साहित्य, दलित कला, दलित संस्कृति, दलित वीर—वीरांगना, दलित संत, महात्मा, महापुरुष का जो मान—सम्मान आज आर्य संस्कृति के लोग कर रहे हैं, वे भी यह मानने लगे हैं कि दलित (द्रविड़) ही इस देश के मूल निवासी थे जिन्हें धोखे और षड्यंत्रपूर्वक सिन्धु घाटी से दक्षिण भारत की ओर धकेल दिया गया। आर्यों के इस छल, कपट को दलित साहित्य ने ही उजागर कर द्रविड़ व उनकी भाषा तमिल, तेलगू, मलयालम व कन्नड़ को यथोचित सम्मान दिया है।

गत पांच वर्ष से 6 अक्तूबर को अकादमी की सभी प्रदेश व जिला शाखायें 'दलित साहित्य दिवस' का आयोजन कर रही हैं। यह दलित साहित्य में एक नई परम्परा शुरू हुई। मैं भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से उन सबका स्मरण करते हुए उनके योगदान, आशीर्वाद, मार्ग—दर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

साथियों, अभी हमें और आगे जाना है। हमें सामाजिक विषमताओं को खत्म कर के समता के मानवीय अधिकारों को हासिल करना है। हम रहें, न रहें, अकादमी का समता का कारवां आपके सहयोग से निरन्तर आगे बढ़ता रहेगा। ऐसी आशा करता हूं कि इस साहित्यिक महायज्ञ में आपकी आहुति निरन्तर मिलती रहेगी।

— डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर
राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय दलित साहित्य अकादमी
बी—3/9, दूसरी मंजिल
माडल टाऊन—1, दिल्ली—110009

डा. बाबूलाल चांवरिया स्मृति व्याख्यान समारोह

दलित समाज की खामोशी को शब्द देता है डा. चांवरिया का साहित्य–डा. सुमनाक्षर

आदिवासी अध्ययन केन्द्र, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2025 को डॉ. बाबूलाल चांवरिया स्मृति व्याख्यान (झाडू से कलम तक सफर) एवं उनके द्वारा लिखित 'द ग्रेट अम्बेडकर' पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय स्थित बृहस्पति भवन में किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा डॉ. अम्बेडकर व डॉ. बाबूलाल चांवरिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर ने कहा कि दलित साहित्य और मुख्यधारा के साहिय के अंतर को पहचानते हुए दलित रचनाकारों को कार्य करना चाहिए। दलित साहित्य में शोध की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही डॉ. बाबू लाल चांवरिया के कृतित्व पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा लिखित पुस्तक 'द गेट अम्बेडकर' पुस्तक लेखन संदर्भ में कहा कि यह अम्बेडकर साहित्य का श्रेष्ठ लेखन है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। डा. सुमनाक्षर ने कहा कि डा. बाबूलाल चांवरिया दलित लेखकों के लिए प्रेरणादायक आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने अकादमी के अगले वार्षिक सम्मेलन से डॉ. चांवरिया की स्मृति में दलित साहित्य लेखन के क्षेत्र में अकादमी द्वारा पुरस्कार देने की शुरुआत की घोषणा की।

मुख्य अतिथि वरिष्ठ दलित रचनाकार श्रीमोहनदास नैमिशराय ने अपने वक्तव्य में डॉ. बाबूलाल चांवरिया के साथ अपने निकट सम्बन्धों का जिक्र किया और उनके लेखक की सराहना की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार संघर्ष कर के साहित्य लेखन की ओर मुड़े। उनके लेखन में अपना जीवन संघर्ष ही नहीं बल्कि तमाम दलितों के जीवन संघर्ष की झलक दिखाई देती है। अब डॉ. बाबूलाल चांवरिया के लेखने को प्रकाश में लाने की महती आवश्यकता है। उनके लेखन और कार्यों पर लेख लिखकर विभिन्न पत्र–पत्रिका में प्रकाशित होने चाहिए, जिससे दलित साहित्य के सुधि पाठकों तक उनके लेखन की अनुगूंज पहुंच सके।

मुख्य वक्ता प्रो. रतन लाल, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली ने अपने उद्बोधन में अम्बेडकर की वैचारिक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉ. बाबू लाल चांवरिया द्वारा लिखित पुस्तक इसी दर्शन के विविध पक्षों को उकेरते हुई नजर आती है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर लिखी गई श्रेष्ठ पुस्तक है, जो अम्बेडकर साहित्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित समाज के सभी चिंतकों को समाज और साहित्य के प्रत्येक दृष्टिकोण को समझने एवं चिंतन व मनन करने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध जनकथाकार रत्नकुमार सांभरिया ने डॉ. बाबू लाल चांवरिया और अपने निकटतम पारिवारिक सम्बंध ाो पर चर्चा करते हुए कि वे स्वयं रचनाकार हैं, इसलिए एक लेखक के संघर्ष के विविध पक्षों को वे समझ सकते हैं। डॉ. चांवरिया का यह संघर्ष आज फलित होता नजर आ रहा है। अब आवश्यकता है उनके द्वारा लिखित साहित्य को प्रकाश में लाकर साहित्य की मुख्यधारा से जोड़ा जाये।

बीजवक्ता के रूप में प्रो. जनक सिंह मीना, सम्पादक, अरावली उद्घोष एवम् प्रोफेसर, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ने पुस्तक 'द ग्रेट अम्बेडकर' के तीनों खण्डों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पुस्तक लम्बी संघर्ष यात्रा का प्रतिफल है। अभी तीन खण्ड प्रकाशित होना शेष है। यह पुस्तक डॉ. अम्बेडकर के विचारों और दर्शन को समझने के साथ–साथ विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि डॉ. बाबूलाल चांवरिया का साहित्य बहुत ही समृद्ध साहित्य है। इस पर अब शोध कार्य करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। अरावली उद्घोष के सम्पादक के रूप में उन्होंने कहा कि पत्रिका का अगला बाबूलाल चांवरिया पर केन्द्रित

विशेषांक प्रकाशित किया जायेगा। जिसमें उनके व्यक्ति और कृतित्व को प्रकाश में लाया जा सकेगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रोफेसर किशोरी लाल रैगर अध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने सभी अतिथियों व सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों, विद्यार्थियों का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने डॉ. बाबूलाल चांवरिया के संघर्षमयी जीवन–यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका लेखन दलित समाज के अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। डॉ. बाबू लाल चांवरिया की पुत्री प्रियंका चांवरिया ने अपने विचार व्यक्त किये, साथ ही उनके अभिन्न मित्र रहे राजन निर्मोही ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

इस अवसर पर डॉ. बाबू लाल चांवरिया की पत्नी श्रीमती कमला चांवरिया, उनके पुत्र राजकमल चांवरिया, पुत्री चंचल चांवरिया, दीहिता नितिन और उनके परिवारजनों के साथ विश्वविद्यालय के कला संकाय के अधिष्ठाता प्रो. मंगलराम, आलोचक प्रो. कौशलनाथ उपाध्याय, कथाकार सत्यनारायण, आलोचक डॉ. कालूराम परिहार, डॉ. ताराराम, डॉ. प्रवीन चन्द, डॉ. रश्मि मीना, डॉ. विजयश्री, डॉ. दिनेश गहलोत, डा. देवकरण, डॉ. विवेक व अन्य शिक्षक साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कुलदीप सिंह मीना, निदेशक आदिवासी अध्ययन केंद्र ने किया तथा अंत में धन्यवाद चंचल चांवरिया, राजकमल चांवरिया ने दिया। •

बलिदान व संघर्ष की परंपरा सतत जारी रहेगी

शहरी अम्बेडकरियों के आने पर
गांव के दलितों ने कसमें खाईं
बेगारी छोड़ने की
पशुओं की खालें नहीं उतारने की।
खाल चोरी रिपोर्ट दर्ज करा कर
सामंती थानेदार ने
फौरन कार्यवाही की
और खाले उतार ली
गांव के दलितों की।
और बुलाओ शहरी अम्बेडकरियों को
इस बार तो खाल की रिपोर्ट पर ही
खालें उतारी हैं आधे–अधूरे बदनों को।
गाय की जान लेने के नाम पर
अगली बार तो जाने ले ली जायेगी
गांव भर के दलितों, पद–दलितों की।
सनद रहे दुलिवा का झज्जर काण्ड
कर दी थी हड्डी–दर–हड्डी झरझर
खाल गायों की बहाना था,
असल मुद्दा दलितों को दबाया था।
ओ मरुधरा के मृत दमितों
जो इस सामंती घरों में
अम्बेडकरी बीज रोपेगा
तो कुते की नहीं,
दलित की मौत मरेगा।
पर बलिदान व संघर्ष की
यह परंपरा सतत जारी रहेगी।

— डा. बाबूलाल चांवरिया

भारत में दलित समस्या एवं उनका संवैधानिक समाधान

• डॉ. विजय कुमार

भारत विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय एवं वर्गों का देश रहा है। जहां दलित वर्ग समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग है जिसका संवैधानिक नाम 'अनुसूचित जाति' है। दलितों की समस्याओं का एक लम्बा इतिहास रहा है लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही विभिन्न समाज सुधारकों एवं संस्थाओं ने दलित समस्या के प्रश्नों को उठाना प्रारम्भ किया। वस्तुतः सभी का उद्देश्य दलितों के लिए सामाजिक बराबरी एवं सरकारी नौकरी में प्रवेश सुनिश्चित कर समाज की मुख्य धारा में लाना था। इन सबों के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1920 आते–आते अस्पृश्यता एवं दलितोत्थान ने राष्ट्रीय महत्त्व के राजनीतिक प्रश्न का स्वरूप धारण कर लिया था, सर्वप्रथम भारत सरकार ने अधिनियिम 1919 के तहत् दलितों को विधान मंडल में मनोनयन की सुविधा प्रदान कर दी। 1932 ई. में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को आधार पर ब्रिटिश सरकार रैम्जे मैकडोनाल्ड ने दलित वर्ग को एक विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग माना और सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी। इस पंचाट के द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्राप्त हुई है जिससे निर्वाचन में अपने वर्ग से प्रतिनिधि चुनने का और साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। जिससे दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के मत से ही निर्वाचित हो सकेंगे और वे अपने समाज के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ होकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर रहेंगे। भारत में आजादी के उपरांत संविधान निर्माताओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी देश में सामाजिक विषमता का अंत करके समता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना जिसके लिए उन्होंने संविधान निर्माण के क्रम में इसमें कई ऐसे उपबंध किये जिससे कि दलित वर्ग को सहायता मिल सके। भारतीय संविधान में बिना किसी भेदभाव देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के साथ सम्मानजनक जीवन–यापन के लिए आवश्यक न्याय पर आधारित अधिकार प्रदान करता है। जिस कारण केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने दलितों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक. धार्मिक एवं वैधानिक स्थिति को सुधारने के लिए समय–समय पर कानून बनाये हैं लेकिन इन संवैधानिक प्रावधानों एवं सरकारी प्रयासों के बावजूद भी आज तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं।

भारतीय हिन्दू समाज का चतुर्थ वर्ण जिसे वर्तमान समय में दलित, अनुसूचित जाति या कुछ राज्यों में इसे महादलित के नाम से जाना जाता है। दलित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने, उनके सामाजिक समस्याओं का निवारण एवं राजनीतिक हितों को प्रोत्साहन देने के लिए संविधान में कुछ विशेष उपबंध किये गये हैं। वहीं दलितों के हितों की संरक्षण के साथ–साथ राज्यों को यह दायित्व सौंपा गया कि सभी प्रकार की

सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनकी रक्षा करें। दलितों को ऊपर उठाने और समतामूलक समाज बनाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है क्योंकि आर्थिक, सामाजिक व रूढ़ियों के बहाने भारतीय समाज में परिवर्तन लाना कठिन था इसलिए भारतीय संविधान में इन बुराईयों को दूर करने के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान दिया गया और विभिन्न अधिनियमों के तहत् इसमें समय–समय पर संशोधन भी किये गये हैं।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय में ही दलित आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। ऐसा इसलिए कि देश की आजादी के साथ दलित समाज ने भी अपने उत्थान के लिए आन्दोलन किया था। भारतवर्ष में सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है जिस कारण यहां के समाज में निम्न जातियों के अंदर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन करने की आवश्यकता पड़ी ताकि सामाजिक व्यवस्था में जातिविहीन समाज की स्थापना हो सके। सामाजिक व्यवस्था में दलितों में अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन किये और अपनी छवि से अलग होकर स्वयं को निर्माण करना निश्चित किया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही समतावादी समाज की स्थापना के लिए स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य बिना किसी लिंग, धर्म, वंश, जाति और निवास के भेद–भाव बिना सभी के साथ समता का व्यवहार करेगा। इसके लिए सभी को समान रूप से मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति–निर्धारण तत्व निश्चित किये गये हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद करना प्रतिनिषेध करता है। इसके खण्ड (2) के अनुसार किसी व्यक्ति से सार्वजनिक भोजनालय, दूकानों, होटलों, मनोरंजन स्थानों में प्रवेश या कुओं तालाबों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग में विभेद नहीं करेगा। वहीं इसके खण्ड (4) में सामाजिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जातियों के लिए सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है। इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर न तो कोई नागरिक को अपात्र किया जाएगा और नहीं उससे विभेद किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन कर इसे किसी रूप में भी पालन करना वर्जित किया गया और अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध की श्रेणी में रखकर विधि के अनुसार दण्डनीय माना गया है।

भारतीय संविधान में न केवल प्राकृतिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता और सम्पत्ति को संहिताबद्ध किया गया है। और सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक अधिकारों को भी संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। स्वयं प्राकृतिक अधिकार जैसे – समानता व स्वतंत्रता, सामाजिक दशाओं से मर्यादित है, आरक्षण की व्यवस्था, अस्पृश्यता का उन्मूलन, पदनामों का उन्मूलन, भेदभाव का उन्मूलन इसके कुछ उदाहरण हैं। अनुच्छेद 23–24 भारतीय मूल अधिकार पत्र की मौलिक विशेषता है, जिसमें समाज के निर्बल वर्गों के संरक्षण का प्रायोजन दिया गया है, जिसे शोषण के विरूद्ध अधिकार माना गया है।

संविधान के अनुच्छेद 45 के देख–रेख तथा 6 वर्ष के आयु के अन्तर्गत आरम्भिक शिशुत्व बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। वही अनुच्छेद 21 (क) द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में राज्य द्वारा संचालित अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अधिकार सभी जातियों एवं धर्मों के व्यक्तियों के लिए बिना किसी भेदभाव के एक समान किये जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करता है। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा भी प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा दलितों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए मान्यता प्राप्त सरकारी शैक्षणिक संस्था विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नामांकन में प्रवेश शुल्क एवं विभिन्न प्रकार के शुल्क जमा करने में छूट दिया गया है साथ ही इन शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन काल के दौरान उन्हें रहने के लिए छात्रावास भोजन एवं पुस्तक, बैंक योजना, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। दलितों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा समय–समय पर न केवल छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई अपितु उनके प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को भी प्रभावी किया गया है। संघ, राज्य क्षेत्रों के सभी शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्देश भी दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में एवं कार्य योजना 1992 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली या अन्य शैक्षणिक संस्थान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। प्रतिभावान छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है यह सहायता कवेल इंजीनिरिंग,

प्रौद्योगिकी और विज्ञान जैसे कुछ के विशिष्ट विषयों में पी–एच.डी. और पोस्ट डॉक्टरॉल अनुसंधान के लिए दी जाती है। विदेशों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अधिकतम समय सीमा 4 वर्ष पी–एच.डी. एवं 3 वर्ष स्नातकोत्तर के लिए तय की गयी है।

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों के लिए नौकरी प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गयी है। वहीं खुली प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़कर अन्य तरीकों से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में भी 15 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। केन्द्र तथा राज्य के अधीन सरकारी सेवाओं में आवेदन करने के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आवेदनों करने के शुल्क में रियायत दी गयी है साथ ही सुरक्षा बलों की नौकरियों में शारीरिक दक्षता में भी छूट प्रदान किया गया है।

संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 ई. द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए अनुच्छेद 243 (घ) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है उसी प्रकार प्रत्येक नगर पालिका में भी संविधान के अनुच्छेद 243 (न) के द्वारा स्थान आरक्षित किये गये हैं। वहीं अनुच्छेद 330 के अनुसार निश्चित वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था की गई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित किये गये हैं । उसी प्रकार राज्यों के विधान सभाओं में अनुच्छेद 332 के तहत् इनके लिए स्थानों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 335 में संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाये रखने के लिए संगति के अनुसार ध्यान रखा गया।

संविधान की अनुच्छेद 341 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों में किन वर्गों को शामिल किया जाएगा। आरक्षण रिक्तियों उपयुक्त श्रेणी के उम्मीदवारों से ही भरी जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ रियायतें और छूट जैसे अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। प्रत्येक मंत्रालय में आरक्षण नीति पर सही तरीके से अमल सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति के लिए सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये गए हैं।

सरकार द्वारा दलितों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष संघटन योजना की नीति अपनायी गई। इसके लिए 3,614.66 करोड़ रूपये की धनराशि सुरक्षित की गई। इस सहायता राशि का इस्तेमाल अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों से संबंधित विकास 5 कार्यक्रम पर अतिरिक्त जोर देने के लिए किया जाता है। अनुसूचित जाति विकास निगम 18 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित क्यिये गये हैं। 12 गरीबी से मुक्ति के लिए गरीबी विरोधी कार्यक्रम व नौकरियों में आरक्षण को ठीक से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मैला ढोने से मुक्ति तथा दलितों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय योजना प्रारम्भ की गई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम सफाई कर्मचारियों के आमदनी की व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराने का प्रबंध करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम गरीबी रेखा से नीचे. गुजारा करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के वास्ते रियायती ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराता है और प्रशिक्षण, उद्यमिता, विकास तथा अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से उनके हुनर का विकास करता है। 14 राज्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास निगम 26 राज्यों 1 केन्द्रशासित, प्रदेशों में काम कर रहे हैं। इन निगमों में 49 प्रतिशत हिस्सा पूंजी केन्द्र सरकार की और 51 प्रतिशत राज्य सरकार की होती है। इससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने करोड़ों रूपये अंशदान दिया है। सरकार द्वारा दलितों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के लिए भूमि वितरण, आवास निर्माण कर रोजगार गारंटी योजना के तहत् आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं में धनराशियों का आवंटन, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, बैंक से ऋण सहायता, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, छोटी ईकाईयों की स्थापना, वितरक एजेंसियों का आवंटन, सुरक्षात्मक उपाय जैसे मजदूरी का न्यूनतम दरों का निर्धारण तथा बंधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन से भी अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया है।

भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 338 के आधार पर 01 नवम्बर, 1950 ई. को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आयुक्त नियुक्त किये जिसका कार्य दलितों पर होनेवाले भेदभाव व विकास के बारे में ध्यान रखना तथा इसके बाद में 14 उप–आयुक्त की नियुक्ति की गयी। 15 जून, 1967 ई. को समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत महानिदेशक की भी नियुक्ति की गई। अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत ही 1978 ई. में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग

संवैधानिक संस्था के रूप में कार्यरत है। जिसका कार्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित मान जनजातियों के कल्याण से संबंधी मुद्दों की समीक्षा करना है। इस आयोग को वे सभी अधिकार दिए गए हैं जो किसी मामले की सुनवाई कर रहे सिविल न्यायालय के पास होते हैं। इसके तहत वह देश के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करके बुला सकता है और शपथ–पत्र की जांच के लिए साक्ष्य मांग सकता है उसी प्रकार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1994 ई. में हुई यह आयोग सफाई कर्मचारियों की विशिष्ट शिकायतों, उनके कल्याण की योजना तथा कार्यक्रमों को संबंधी मामलों की जांच करता है।

भारत सरकार ने दलितों पर होनेवाले अत्याचार, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करने के लिए समय–समय पर अनेक अधिनियम व कानून पारित किये। जैसे – अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 / सिविल संरक्षण अधिनियम, 1955, बंधित श्रम पद्धति (उत्पाद) अधिनियम, 1976 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 आदि हैं। इसी तरह राज्य सरकारों ने भी अलग से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आधार पर अस्पृश्यता समाप्त करने का कार्य किया । जैसे – तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और केरल में हरिजन समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1965 ई. में की गई। ऐसे ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के आधार पर बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर आदि राज्यों में भी कार्य किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार अलग से 1964 ई. में हरिजन कल्याण बोर्ड की स्थापना करके दलितों की हित के लिए व अस्पृश्यता समाप्त करने हेतु कार्य आरम्भ किया। पुनः केन्द्रीय सरकारों ने 1979 ई. के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित करके दलितों के प्रति होनेवाले भेदभाव व अत्याचार को समाप्त करने का प्रयास किया। बहुत सी सरकारों ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की। जिससे की समाज में जाति–पाती के बंधन से अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सके।

उपरोक्त वर्णित संवैधानिक तथा सरकारी प्रयासों द्वारा दलित की समस्याओं का निराकरण होने की संभावना तो बढ़ती है लेकिन वास्तविकता तो यही है कि भारतीय समाज में अभी भी ऊंच–नीच का भेदभाव, विषमता, पंथ–भेद, प्रांत–भेद, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है अतः केवल संवैधानिक व्यवस्था और सरकारी नीति का निर्धारण कर देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि मानसिक घरातल पर टूटा हुआ समाज में एकात्मक, एकरस और एक जीवन कैसे हो, यह देखना होगा, सामाजिक परिवर्तन के लिए वैधानिक व्यवस्था से अधिक मानसिक परिवर्तन की जरूरत है।•

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक :

हिमायती

बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009

भारतीय दलित साहित्य अकादमी

मुख्यालय : बी–3/9, दूसरी मंजिल, मॉडल टाउन–1, दिल्ली–110009 (भारत)

41वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन

निमन्त्रण पत्र

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के तत्वावधान में द्विदिवसीय 41वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन **पंचशील आश्रम, झड़ौदा गांव (बुराड़ी बाई पास), निरंकारी समागम ग्राउंड के सामने, आऊटर रिंग रोड, दिल्ली–84 में 12-13 दिसम्बर, 2025** को आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के सभी राज्यों के, सभी भाषाओं के दलितोत्थान में जुटे दलित साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, सम्पादक, समाजसेवी आदि भाग लेंगे जो दलितोत्थान विषयों पर विचार–विमर्श करेंगे। दलित नेताओं को भी इस सम्मेलन में आमन्त्रित किया गया है। आप दलित समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और शुभ चिन्तक होने के नाते इस सम्मेलन में मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। सभी प्रतिनिधियों के आवास की व्यवस्था अकादमी की ओर से सम्मेलन स्थल पंचशील आश्रम, झड़ौदा गांव (बुराड़ी बाई पास), दिल्ली–84 में की गई है। आप अपने सुझाव/विचार/प्रस्ताव तथा आने वाले साथियों की सूची शीघ्र भेज देंगे तो इससे व्यवस्था करने में आसानी होगी। आशा है सम्मेलन को सफल बनाने में आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

डा. सोहनपाल सुमनाक्षर
राष्ट्रीय अध्यक्ष
मो. : 9810278936

जय सुमनाक्षर
राष्ट्रीय महासचिव
मो. : 9891989175

E-mail : jay.sumanakshar@gmail.com
Website : www.bdsakadami.com

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ◻ सह सम्पादक एवं व्यवस्थापक - जय सुमनाक्षर, मो. 9810278936 Email-sumanakshar@ymail.com

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009